

आदेश

डा०, रश्मि रानी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मूर्च्छक), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद का दिनांक-01.03.2022 से 05.06.2025 तक के अविनियमन अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक-01.03.2022 से 10.03.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा सहिता के नियम-236 के आलोक में)
ii	दिनांक-11.03.2022 से 10.03.2025 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या- 2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
iii	दिनांक-11.03.2025 से 05.06.2025 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, तित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी जहानाबाद/डा०, रश्मि रानी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मृच्छक) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Mahesh Kalyan
सूकर के उप सचिव